

हरिजनसेवक

दो आमा

(स्थापकः महात्मा गांधी)

सम्पादक - किशोरलाल मशरूमाला

भाग १२

अंक २३

मुद्रक और प्रकाशक

जीवनजी दाशाभाषी देसाई
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदाबाद

अहमदाबाद, रविधार, ता० ८ अगस्त, १९४८

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शिं १५; डॉलर ३

हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी ही है

मैं जब यह लिखने बैठा, तो सोचने लगा कि अिसका शीर्षक क्या रखा जाय। 'हमारी राजभाषा' यह अधूरा लगता है। और 'आज तो यह सही भी नहीं होगा। आज हमारी राजभाषा अंग्रेजी है। वह राष्ट्रभाषा नहीं है। और राजभाषाका दायरा हमेशा राष्ट्रभाषासे छोटा ही रहेगा। आजकल 'संघभाषा'का प्रयोग शुरू हुआ है। 'हिन्दी संघ', 'अिण्डियन यूनियन' नाम अंगरेजे हमारे देशको दिया गया है, लेकिन सुझे वह कहाँ परस्न्द नहीं। अिसमें अलगावकी बूँ आती है। 'संघ' शब्द या तो रियासती प्रजाओं और गैर-प्रियासती प्रजाओंके सम्मेलनका सूचक हो सकता है या मद्रास, बम्बई, मध्यप्रान्त वगैरा प्रान्तोंके सम्मेलनका सूचक हो सकता है। कुछ भी हो। 'संघ' शब्द है तो मिलापका सूचक, लेकिन शुसके साथ साथ अलगावका भान हुआ बिना नहीं रहता। सुझे तो 'हिन्द', 'भारत', 'हिन्दुस्तान' ये शब्द ज्यादा पसंद हैं। जिसमें हमारी अखण्डता कायम रहती है। अभी अभी पाकिस्तानके निर्माणसे 'हिन्दुस्तान' शब्द कुछ अप्रिय हो गया है, जिसलिए ओछे ख्यालके लोग 'हिन्दुस्तान' के बजाय 'हिन्दुस्तान' शब्दका प्रयोग जानबूझ कर करते हैं, और अिस तरह हमारे देशको सिर्फ हिन्दुओंका ही देश मनवानेकी कोशिश करते हैं। (यहाँ पर यह कह दिया जाय कि महाराष्ट्री लोग आम तौर पर 'हिन्दुस्तान' ही लिखते हैं। लेकिन वे अपर बताये हुए ख्यालसे ऐसा नहीं करते। वे तो 'गुजरात'को 'गुजराथ' और 'गुजराती'को 'गुजराथी' ही कहते और लिखते हैं। शुनकी ज्ञानका शायद यह स्वभाव है।)

हिन्दुस्तानीको संघभाषा भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वह सिर्फ हिन्दी संघमें ही नहीं बोली जाती। पाकिस्तानमें भी वह बरती जाती है। संजोगवश हमारे देशमें दो राजकीय हुक्ममतें कायम हुई हैं। अिससे न तो दो दिल होने चाहिये, न दो राष्ट्र। दो हुक्ममतें होते हुए भी हमारा राष्ट्र काशीरसे कन्याकुमारी तक और कराचीसे सदिया तक अेक ही है। और अीश्वरने चाहा, तो अेक ही रहेगा। अिसलिए अिस महान देशकी भाषाके लिए 'राजभाषा' या 'संघभाषा' के बनिस्वत 'राष्ट्रभाषा' शब्द ज्यादा सही होगा।

(२)

हमारी राष्ट्रभाषाका नाम क्या रहे? जब तक पाकिस्तानका निर्माण नहीं हुआ था, तब तक कुछ लोग दूसरी तरह सोचते थे। अब, पाकिस्तानसे कोअभी वास्ता न मानकर वे कहते हैं— "हमारा देश 'हिन्द' है, जिसलिए हमारे देशकी ज्ञानका नाम 'हिन्दी' होना चाहिये।" अेक जमाना था जब हिन्दी शब्द शुसी अर्थमें समझा जाता था, अिसमें कि आज 'हिन्दुस्तानी' समझा जाता है। लेकिन हिन्दीके प्रेमी हिन्दीको शुसकी जगहसे घसीटे घसीटे यहाँ तक ले आये हैं कि शुसके मानी अब होने लगे हैं: नागरी लिपिमें लिखी जानेवाली संस्कृत शैलीकी ज्ञान। जिसलिए देशके लिए 'हिन्द'

शब्द जितना प्यारा लगता है, जुतना देशकी ज्ञानके लिए 'हिन्दी' शब्द प्यारा नहीं रहा। ऐसा कहा जा सकता है कि 'हिन्दी'के मुकाबले 'हिन्दुस्तानी' शब्द ज्यादा पसंद किया जायगा। हमारे देशकी ज्ञानके लिए 'हिन्द' परसे अेक दूसरा शब्द 'हिन्दी' चला था। लेकिन वह अब नामशेष हो गया है। शुसके फिर जिन्दा होनेकी कोअभी शुभ्मीद नहीं। जिसलिए 'हिन्दुस्तानी' शब्द ही ज्यादा पसंद किया जायगा। लेकिन अगर कोअभी हिन्दुस्तानीके मानी शुर्दू करता है, तो वह ख्वाब देखता है, और वह शुसका ख्वाब ही बना रहेगा। यह कभी बार साफ कर दिया गया है कि हिन्दुस्तानी वह ज्ञान है, जिसमें हिन्दी और शुर्दूका कुदरती मेल है।

ज्ञानके रूपके बारेमें और नामके बारेमें जो मतभेद है, शुससे कहीं ज्यादा मतभेद शुसकी लिपिके बारेमें है। यह हकीकत है कि हिन्दुस्तानी आज नागरी और शुर्दू दोनों लिपियोंमें लिखी जाती है। लेकिन आज दूसरेको शुसकी जगह दिखानेकी अेक खतरनाक हवा चली है। काश कि सब अपनी अपनी जगह पहचान लें। न नागरी शुसकी जगहसे हटाई जा सकती है, न शुर्दू कानूनके जरिये मिटाई जा सकती है। अगर तामिलनाडुमें जाकर कोअभी तामिल लिपिकी अपूर्णता दिखाकर शुसे हटानेका प्रचार करेगा, तो शुसकी कोअभी सुनेगा नहीं। मैं वही नम्रतासे कहूँगा कि आजका अवसर लिपियोंके गुण-दोष और शुनके दायरेकी चर्चा करके अेक दूसरेकी तुलना करनेका नहीं है। जैसी भी हालत है, शुसे स्वीकार करके आज संगठित रूपसे आगे बढ़नेकी ज़रूरत है। अलबत्ता, जिसे अपनी लिपि प्यारी है, वह अपनी लिपिको संपूर्ण बनानेकी कोशिश करता रहे, यह कहनेकी ज़रूरत नहीं है।

(३)

आज राष्ट्रभाषा प्रचारके क्षेत्रमें काम करनेवाले बहुतेरोंकी निगाहें विधान-सभाके होनेवाले फैसले पर गड़ी हुई हैं। जिसलिए विधान-सभा किस तरह बनी है, शुसका दायरा क्या है, किस चीज़का शुसे निर्णय करना है, वगैरा बातोंपर सोचना ज़रूरी है।

विधान-सभामें विधान बनानेकी विद्या जानेवालोंको सभासद चुना गया है। जिसलिए ये सब किसी खास भत्ती की संस्थाके प्रतिनिधि हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं माना गया। जैसे डॉ० अंबेडकर और डॉ० श्यामप्रसाद मुकर्जी काप्रेसकी तरफसे भेजे गये हैं, लेकिन वे काप्रेसके सिद्धान्तोंको पूरी तरह मानेवाले नहीं हैं। दूसरे ऐसे हैं, जिन्हें आवादीकी संस्थाके प्रमाणमें और लोकप्रियताके कारण चुनना ज़रूरी माना गया, चाहे वे विधान बनानेकी कलाके विशेषज्ञ न भी हों। अिस तरह विधान-सभा राष्ट्रभाषाका निर्णय करनेवाली अथवा शुसपर शास्त्रीय ढंगसे चर्चा करनेवाली संस्था नहीं है। ज्यादासे ज्यादा वह राजभाषाके बारेमें निर्णय कर सकती है। लेकिन अिसमें भी शुसे जनतासे निर्णय लेना चाहिये। कहा जाता है कि विधान-सभाके सभासदोंमें बहुतेर अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन सब हिन्दुस्तानी नहीं समझते, खासकर दक्षिण भारतके लोग। अिससे शुल्टे, हिन्दके ज्यादातर लोग हिन्दुस्तानी समझते हैं और अंग्रेजी तो सात फी सही लोग भी नहीं समझते।

जिसलिए अगर विधान-सभामें यह तय होता है कि विधान अंग्रेजीमें मंजूर किया जाय, तो वह तीस चालीस करोड़ लोगोंकी नुमाजिन्दगी नहीं करती। जितना ही नहीं, वह आजके भारतवासियोंके साथ और भविष्यकी पीढ़ियोंके साथ जबूदस्त अन्याय करती है। जिसका अर्थ और नतीजा तो यही हो सकता है कि राजकाज चलानेका ठेका अंग्रेजी जानेवालोंका ही रहेगा। जिससे बढ़कर अन्याय और क्या हो सकता है? अंगर जनताकी राय ली जाय, तो वह अंग्रेजीके पक्षमें कभी नहीं होगी। जिसलिए जिन लोगोंके लिए विधान बनाया जाता है, वह अंग्रेजीमें हरणिज नहीं हो सकता; वह तो हिन्दुस्तानीमें ही होना चाहिये।

दलील यह की जाती है कि हमारी देशी भाषायें जितनी समृद्ध नहीं हैं, जितनी अंग्रेजी है। अंग्रेजीमें बारीकीसे खास अर्थ बतानेवाले जो शब्द हैं, उनके लिए हमारी जबानोंमें शब्द नहीं मिलते। और राजका मामला है। कभी कभी तो ऐसे शब्दोंपर ही महत्वके निर्णय किये जाते हैं।

ठीक है। लेकिन क्या अंग्रेजी राजके पहले जिस प्राचीन देशमें अच्छे राज चले ही नहीं? जहाँ झूठको सच साबित करना है, वहीं युक्ति, प्रयुक्ति और अटपटेवनकी जरूरत है। आजकल अंग्रेजी राजके असरमें लोगोंके लिए जिन्साफ पाना जितना पेचीदा और मुश्किल हो गया है कि बिना वकीलके अदालतमें काम ही नहीं चल सकता। और अगर स्वराजमें भी विधान अंग्रेजीमें मंजूर हुआ, तो जिन्साफ माँगनेवाला यह नहीं समझ सकेगा कि न्यायाधीश किस तरह जिन्साफकी कार्रवाई कर रहा है और वकील किस तरह बहस कर रहा है। आखिर यह लाचारी कहाँ तक बरदाश्त की जाय और क्यों?

आरम्भमें कठिनाइयों जूलर रहती हैं, लेकिन आरम्भ करनेपर ही वे दूर की जा सकती हैं। आरम्भ हो भी तो।

दूसरी दलील यह की जाती है कि यही कुछ भी हो, हकीकत यह है कि जब विधान पेश होगा, तब शुस्की हर कलमपर बहस होगी और शुस्क पर राय भी जायगी। लेकिन अगर कुछ समार्थद हिन्दुस्तानी बिलकुल समझते ही नहीं, तो वे अपनी राय कैसे देसकेंगे? जिसके लिए व्यावहारिक इल क्या है?

जहाँ चाह वहाँ राह। हम अपने सिर्फ अंग्रेजी जानेवाले देश सेवकोंकी सेवा सोना नहीं चाहते। जिसलिए पहले विधानकी कलम हिन्दुस्तानीमें पढ़ी जाय और तुरन्त शुस्का अनुवाद अंग्रेजीमें पढ़ा जाय। जिसे समयकी बरबादी न कहा जाय, वल्कि राष्ट्रके घोरव और राष्ट्रकी ताकत बढ़ानेके लिए ज़रूरी समझा जाय।

अन्तमें दो शब्द में राष्ट्रभाषा प्रचारके क्षेत्रमें काम करनेवाले अपने साधियोंसे कहना चाहता हूँ। हमारा मक्षद यूँचा है, हमारा दायरा विश्वाल है। राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी राजभाषा तो बन सकती है। लेकिन वह बनेगी तब बनेगी। वह तो आज भी शुस्के ज्यादा यूँचे आधान पर विराजमान है। वह आप्सन है चालीस करोड़ लोगोंके हृदय। हिन्दुस्तानी न तो प्रान्तभेदोंको जानती, न शुस्कके लिए हिन्दी संघकी सीमाका बन्धन है। वह शुस्के बाहर पाकिस्तानमें भी फैली हुई है। शुस्की दोनों लिपियों—नागरी और सुर्दू—के जरिये हमें शुस्की शुपासना करनी है। शुर्दूकी शुपासना हमें अपने पहोसी अफगानिस्तान, बल्हिस्तान, अश्वान, अरवस्तीन वगैरके नजदीक ले जायगी। हमें विधान-सभाकी और लाकर्टे-थैटनेकी ज़रूरत नहीं। हमारे कामका निर्णय वह नहीं दे सकती। वह शुस्की भर्यादाके बाहर है। हमें न केवल शुस्के राजकीय क्षेत्रकी सेवा करनी है, वल्कि जीवनके और क्षेत्रों—विज्ञान, तत्त्वज्ञान, साहित्य वगैरा—की भी सेवा करनी है। और वह हम हिन्दू, मुसलमान, पारसी, असाधी सब मिलकर करेंगे। आज हमारे रहनुमा पूँ गांधीजी हमारे बीच नहीं हैं। जिसलिए हमें शुस्के दिखाये हुए रास्ते पर और भी ज्यादा श्रद्धा और लगानसे चलनेकी और आगे बढ़नेकी ज़रूरत है।

वर्षा, १७-७-'४८

अमृतस्लाल नाणाबद्दी

रचनात्मक काम करनेवालोंकी संस्थायें

डॉ० कैलाशनाथ काटजूने रचनात्मक काम करनेवाले और गांधीजीके रचनात्मक कार्यक्रममें विश्वास रखनेवाले लोगोंके कर्तव्यों पर अपने विचार जाहिर किये हैं। शुन्हें पाठकोंके सामने रखते हुए मुझे खुशी होती है। ये विचार अनुके अेक खतमें सुनकर दिये गये हैं:

“संचालकों और कार्यकर्ताओंको गंभीरतासे प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि वे अपनी प्रवृत्तियाँ चलानेके लिए न कभी सरकारका आसरा ताकेंगे न शुस्के मदद माँगेंगे। वे तो पूरी तरह अपने ही प्रयत्नों पर, अपने ही ऐसे या ऐसे ऐसे पर निर्भर रहेंगे, जो वे शुस्के काममें रस रखनेवालोंसे जिकड़ा कर सकेंगे। किसानके आठ आने या अेक रुपया चन्द्रेसे शुरू करके जितने भी ज्यादा आर्थिक मदद देनेवाले होंगे, अनुतना काम ज्यादा कामयाब होगा। मैं खास तौरसे जिस बातको बहुत ही बड़ा महत्व देता हूँ, कारण कि आहदे और आहदेवाले लोग तो कुदरतन राजनीतिक और दूसरी सब तरहकी ताकतोंके केन्द्र बन जाते हैं। आहदेका मतलब है संरक्षण, जिसका मतलब है आर्थिक संरक्षण। यहाँ अेक बड़ा भारी खतरा यह पैदा होता है कि हमारे रचनात्मक कार्यक्रमके काम करनेवाले जिधर केन्द्र शुरू करेंगे और तुरन्त ही शुधर मंत्रियोंके पास मददके लिए दौड़े जायेंगे। जहाँ अनुहोने यह किया कि मेरी अपनी धारणा तो यह है कि शायद ही अनुका वह काम सफल हो। मैंने बार बार देखा है कि हमारे आदरणीय मिश्र और दूसरे कभी सहयोगी सरकारसे आर्थिक मदद पानेके लिए व्यर्थ अपनी ताकत खर्च करते रहते हैं और जब वह मदद या तो अनिच्छासे दी जाती है, या वह नाकाफी होती है या जुसे देनेमें कुछ ज़रूरी सरकारी पाबन्दियाँ लगा दी जाती हैं, तो शुन्हें चिढ़ आती है। सिर्फ जितना ही नहीं, जिस समयसे हमें सरकारी आर्थिक सहायता मिलने लगती है या हम शुस्कपर निर्भर हो जाते हैं, शुस्की समयसे मैं समझता हूँ कि हमारे कामकी नैतिक अपील बहुत कुछ घट जाती है और शुस्कका लोगोंपर वह असर नहीं पड़ता, जो कि पड़ना चाहिये। मैं सरकारी आर्थिक मदद लेनेके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी यह पक्षी राय है कि ऐसे कामोंका खास आधार ज्यादासे ज्यादा गैरसरकारी मदद पर होना चाहिये। वह मदद जितनी आम किसान लोगोंसे मिले, अनुतना ही अच्छा। सरकारी मदद तो बिना खोजे, बिना प्रार्थना किये अपने आप आनी चाहिये। असलमें मंत्रीको जिन संचालकोंसे मदद मंजूर कर लेनेके लिए प्रार्थना करनी चाहिये, न कि संचालक लखनवू या नैनीतालके सेकेटरियटमें मंत्रीके दफ्तरमें, या शुस्के घर जाकर मदद माँगते फिरे। ऐसा होनेपर तो सारी रचना ही बदल जाती है। यदि सरकार रचनात्मक कार्यक्रमको बढ़ाना ही चाहती है, तो यह शुस्कका काम है कि जिस तरीकेको वह उपयोग अच्छा समझे, शुस्कके जरिये शुस्के बढ़ाये। जिसके लिए मेरे अपने विचार मी हैं। मैं यह तो नहीं बताता सकता कि किस तरह, लेकिन किसी भी तरह गांधीजीने जिस कार्यक्रमको ऐसा बना दिया है कि सरकारके जरिये शुस्के बढ़ाये। जिसके लिए मेरे अपने विचार अनुहोने नहीं बताता ही वह उपयोग अच्छा समझे, भी हैं। मैं यह तो नहीं बताता ही असर लेनेके लिए किसी भी तरह गांधीजीने जिस कार्यक्रमको ऐसा बना दिया है कि सरकारके जरिये शुस्के बढ़ाये। अलबत्ता सरकारकी जितनी तो जिम्मेदारी है कि वह जनताके पैसेको ठीक तरहसे खर्च कर और जिसके लिए शुस्क, जो शुस्के अनुचित दिखें, काममें ले। परन्तु कुछ भी ही काम करते हैं—वे पूरा काम नहीं करते। सैकड़ों जिस्त्वार्थी

और बिलकुल अधीमानदार कार्यकर्ताओंके लिये आदर्श रास्ता तो यही होगा कि वे संगठित हो जायें और गाँवोंमें फैल कर यह काम करें, और सरकार अनुहृत यह काम बड़ानेके लिये डिकट्री रकमोंके रूपमें कुछ मदद दे। यह मदद जिस कामके लिये आवश्यक धनका ऐक हिस्सा ही रहेगी।

“जैसे जैसे सभय बीतता जाता है, वैसे वैसे अधिक तीव्रतासे मुझे महसूस होनेवाली दूसरी बात है, खुदके आदर्शकी। जिसकी खास कर रचनात्मक कोशिशोंमें बड़ी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि गांधीजी अपना चरखेका सन्देश गाँव गाँवोंमें जिसलिये नहीं पहुँचा सके कि अनुका व्यक्तित्व बड़ा अनीब था, बल्कि जिसलिये कि वे खुद बिलाना रोज कातते थे। मैं अब बड़े दुःखके साथ देखता हूँ कि चरखेकी ताकतमें लोगोंको सच्चा विश्वास नहीं रहा। यदि ऐसा विश्वास होता, तो वह व्यवहारमें दिखाएंगी देता। मैं नहीं जानता कि केन्द्र और प्रान्तोंकी सरकारोंके कितने मंत्री रोज चरखा चलाते हैं। मैं मानता हूँ कि अनुके कन्धोंपर जिम्मेदारियोंका भारी बोझ है। फिर भी मेरा सुझाव है कि यदि चरखेका सन्देश हिन्दूके आम लोगोंमें पहुँचाना हो, तो हमारे बड़े आदमियों और हमारे मंत्रियोंका अपने जीवनमें फिरसे चरखा दखिल कर दिखाना ज़रूरी मालूम होता है। बदकिस्मतीसे आजकल सिर्फ अपेक्षासे हमारा बहुत काम नहीं बन पाता। गांधीजीने शरीर-श्रमपर जोर दिया है। अनुका आप्रह था कि जो बात हम दूसरोंको करनेके लिये करें, तो सुने खुद भी करें। मेरी यह बात तिर्फ मंत्रियों या झूँचे झूँचे ओहंदेदारों तक ही सीमित नहीं है। यह तो हमारे सारे नेताओं, चाहे वे ओहंदोंपर हों या बाहर हों, पर अकेसी लागू होती है। मैं खुद तो यही सोचता हूँ कि हरअेक कांग्रेस कार्यकर्ताके लिये, फिर वह नेता हो या अनुगामी हो, यह अेक पवित्र कर्तव्य-सा हो जाना चाहिये कि यदि अुसका रचनात्मक कार्यक्रम विश्वास है, तो तुम्हे जिस बारेमें अपनी खुदकी मिसाल कायम करनी चाहिये। तुम्हे खुद रोज कातना चाहिये और जिस बातको लोगोंमें जाहिर करना चाहिये। अगर वह लोगोंकी सभामें ऐसा करे, तो और ज्यादा अच्छा हो। यदि वह ग्रामोदयोंको बढ़ाना चाहता है, तो तुम्हे अपने घरमें ग्रामोदयोंकी चीजें जिस्तेमाल करके आदर्श कायम करना चाहिये — जैसा गांधीजी जीवनभर करते रहे। रचनात्मक कार्यक्रम तिर्फ आर्थिक कार्यक्रम ही नहीं है। यह तो व्यक्तित्व कभी तरहसे विकास करनेवाला सर्वव्यापी कार्यक्रम है। यदि मैं ऐसा कह सकूँ तो आर्थिक विकास तो जिसके गौण फायदोंमेंसे अेक है, जो कि जिस कार्यक्रममेंसे अपने आप मिलता है। और अगर हम आर्थिक पहलुओं नैतिक पहलुओं जुड़ा कर लेते हैं, और सिर्फ आर्थिक पहलुओं ही ध्यान रखते हैं, तो तुम्हे लगता है कि जिस जमानेमें, जब कि कभी तरहके दूसरे जनताको अल्पज्ञनमें डालेनेवाले सिद्धान्त काम रहे हैं, हमारे सिद्धान्तका नाकामयाक होना बहुत सम्भव है।

“गांधीजी कांग्रेसको ‘कांग्रेस’ शब्दके पुराने अर्थमें सतत कर देना चाहते थे। जहाँ तक राजनीतिका सम्बन्ध है, अनुका स्थायल था कि कांग्रेसके रजिस्टरमें हिन्दूकी सारी आवादी आ जाती है। मेरा स्थायल है कि वे राजनीतिको राजनीतिक्षां, शासनतंत्रकी पाठ्यों और मंत्रि मण्डलोंपर छोड़ देना चाहते थे। रचनात्मक कार्यक्रम अन्दरूने जिस क्षेत्रके कुछ सिपाहियोंपर छोड़ दिया था। लेकिन राजकीय सत्ता आकर्षक होती है। और वह हिन्दू-जैसे गुलामी भोगे हुआ देशमें तो और भी आकर्षक बन जाती है। आज जिस आदमीके पाप राजनीतिक सत्ता होती है, तुम्हें लोगोंको अेक विशेष प्रकारका आकर्षण मालूम होता है। मैं सोचता

हूँ कि अपने निस्स्वार्थ सेवकोंके बारेमें जब वे सोचते थे, तो अन्हें यह भी विचार आता था कि अनुके ऐसे सेवक मौजूदा हालतमें अपने जीवनसे, अपने चरित्रकी सच्ची नैतिकतासे और अपनी लगनकी तीव्र निस्स्वार्थतासे तथा जिनके पास राजकीय सत्ता है अनुसे किसी भी तरहका सम्बन्ध रखे बौर या अनुकी मददपर निर्भर रहे बिना लोगोंमें अपना प्रभाव जमा लें। यदि ये लगनशील कार्यकर्ता किसी सरकारी मदद या संरक्षणपर निर्भर रहे बिना अपने बलपर काम करते रहें, तो मुझे खातरी है कि वे अपने जीवनकी शुद्धतासे, तथा अपने चरित्र और कामकी झूँचाओंसे कामयाबी हासिल कर लें।

“मैं सोचता हूँ कि मैं अेकदम नभी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कभी कभी होता यह है कि जो हमें स्पष्ट दिखाऊ देता है, अनुसीकी हम परवाह नहीं करते। मैं सिर्फ जितना ही चाहता हूँ कि जिस पहलू पर मैंने जोर दिया है, तुम्हे सावधानीसे खयालमें रखा जाय।

“दुःख और गुलामीकी रातके बाद अब देशमें राजकीय सत्ताका झुजेला हुआ है। जिसलिये स्वाभाविक ही हर कंप्रेसी अुपका मजा लेना चाहता है और जिस सत्ताका हितकारी अुपयोग करके जनताकी सेवा करना चाहता है। मैं हृदयसे चाहता हूँ कि जो लोग निस्स्वार्थ सेवाके जिस मार्ग पर चले अन्हें कामयाबी मिले। जिसके लिये वे पूरी तरह योग्य हैं। लेकिन ये कार्यकर्ता खादी और दूसरे ग्रामोदयोंके विकासके लिये विविध प्रश्नियोंवाली सहकारी संस्थाओं (मल्टीप्ल कोआपरेटिंग सोसायटीज) के संगठनका काम अपने हाथोंमें ले लें, तो मैं तुम्हे बहुत पसन्द करूँगा। जिन कामोंसे वे गाँववालोंके बिलकुल नजदीकके सम्पर्कमें आयेंगे और अनुकी बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे; कारण कि जिस तरह पूरी पूरी संगठित संस्थाओंको बहुत सावधान और होशियार संचालनकी जरूरत है।”

सेवाप्रामकी रचनात्मक कार्यकर्ताओंकी परिषद हो जानेके बाद अन्सी तरहकी परिषदें कभी प्रान्तोंमें हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले जिनमेंसे अेक परिषदका संगठन करनेवालोंके नाम अेक पत्र लिखा गया था। अुसमेंसे मैं नीचेका हिस्सा झुद्धित करती हूँ। पाठक क्षमा करेंगे।

“ये प्रान्तीय परिषदें ज़रूरी तो हैं, लेकिन अेकदो भूलोंके बारेमें मैं कार्यकर्ताओंको नेता देना चाहता हूँ। पहली यह है कि परिषद ‘सफलतापूर्वक’ भर लेनेको ही हम शायद सेवाका अंग मान बैठें और जिला, तहसील वगैराके लिये भी ऐसी अेकके बाद दूसरी परिषद करनेके कार्यक्रम तैयार करने लग जायें। दूसरी यह है कि सावधानीसे गढ़े हुए प्रस्तावोंको पाप करा लेने और अनुके पक्षमें अच्छे अच्छे लेन्वर जाइ देनेको ही हम कार्यक्रमकी पूर्णाहुति समझ लें। तीसरी है, हम सरकार और गैरसरकारी अखिल भारतीय संस्थाओंकी ओर हर काममें रहनुगामी करने और पैसेंटक्से मदद देनेके लिये ताक्ते रहें।

“सरकार — प्रान्तीय या केन्द्रीय — और गैरसरकारी अखिल भारतीय संस्थाओंकी भी अपनी अपनी जगह है, अपने अपने कामके क्षेत्र हैं। लेकिन यदि कार्यकर्ता अनुका बहुत ज्यादा सहारा लेंगे और यदि वे ठीक ठीक काम नहीं कर सकेंगी, तो शायद है सारी संस्थाओंको बैठ जाना पड़े और लोगोंको वह स्वराज्य कभी न मिल पाये, जिसमें सर्वोदय होनेकी खातरी है।

“जिसलिये मैं कार्यकर्ताओंसे प्रार्थना करूँगा कि वे लोगोंको अपने साथ लें और अनुकी खुदकी प्रेरणासे रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करनेमें अन्हें लगावें। जैसे जैसे आम लोगोंकी कोशिश बढ़ती दिखाऊ दे, भले अुसमें सरकार या गैरसरकारी केन्द्रीय संस्थाओंकी ओरसे मदद मिले या न मिले, वैसे वैसे कार्यक्रमके अलग अलग लक्ष्य निश्चित किये जायें।”

वर्धा, ८-७-'४८
(अंग्रेजीसे)

किशोरलाल मशारुखबाला

हरिजनसेवक

८ अगस्त

१९४८

कांग्रेसका सुधार

कुछ पुराने कार्यकर्ता और प्रभावशाली कांग्रेसजनोंने यह सुझाया है कि कांग्रेसको और शासनदंत्रको शुद्ध और निर्दोष बनाने के लिये श्री राजयोपालाचार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाभी पटेल, मौलाना आज़ाद और दूसरे चोटीके नेताओंको शासनदंत्र से बाहर आ जाना चाहिये और अपनी जगहोंपर योग्य और अनुभवी लेकिन अपनेसे कम महत्वके कांग्रेसजनोंको रखना चाहिये। बाहर रहकर वे खुसी तरह अिनकी रहनुमाओं करें और अिनपर नियंत्रण रखें, जिस तरह अन्होंने १९३७ के कांग्रेस शासनके दिनोंमें किया था।

मेरे विचारसे यह तभी संभव होगा, जब हम शासनकी मौजूदा पद्धतिके बुनियादी विचारको ही बदल दें। हम जानते हैं कि आजकी पद्धतिमें केन्द्रकी व्यवस्थापिका सभामें एक ही पार्टीके नेता काम करते हैं, जिन्हें नीतियाँ निर्धारित करने और अनुपर अमल करनेका अधिकार दिया गया है। हालांकि वे अनुसूलकी दृष्टिये धारासभाके प्रति जिम्मेदार हैं, फिर भी व्यवहारमें कमसे कम धारासभाकी अपनी पार्टीका तो नियंत्रण करनेकी ताकत रखते ही हैं। अगर बूपरके सुझाव पर अमल किया जाय, तो आजकी पद्धतिकी जगह व्यवस्थापिका सभामें नामजद मंत्री रखनेकी पद्धति अखिलयार करना जरूरी होगा। अन्हें नीति निर्धारण करनेका कुछ भी अधिकार न होगा और अनुपर दृष्टिये द्वारा कदमकी हार होनेपर अिस्तीके नहीं पेश करने पड़ेंगे। वे तो सिर्फ धारासभा द्वारा बतायी हुई नीतिको अमलमें लानेके फर्जसे बैठे होंगे। मैं समझता हूँ कि विठ्ठलरैण्डका विधान कुछ अिसी तरहका है। अगर विधान-सभा फिरसे विधानके सारे प्रश्नों-पर चर्चा न करे, तो अिस विषयमें अब कोअी फेरफार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम आजकी पद्धतिको बदलने लायक फेरफार विधानमें कर दें, तो भी हमें यह याद रखना चाहिये कि अब हाली कमाण्डके मेम्बर तब तक मंत्रियोंपर नियंत्रण नहीं रख सकते, जब तक वे खुद धारासभाओंके मेम्बर न बन जायें। यह नयी हालत कुछ अिस तरहकी होगी: पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाभी पटेलको कमसे केन्द्रीय धारासभाके नेता और अनु-नेता बनना होगा और मंत्रिमण्डलमें दूसरे योग्य कांग्रेस-जनोंको रखना होगा, जो अनुसूल और अमल दोनोंमें न सिर्फ अनुकी सलाह मानेंगे बल्कि अनुकी आज़ासे काम करेंगे। देशका शासन गवर्नर जनरलके नाम पर चलेगा, जो अपनी केविनेटकी सलाहसे काम करेगा। और यह केविनेट बहुमतवाली पार्टीके लीडर और खुसीकी वर्किंग कमेटीके द्वारा चुनी जायगी और कदम कदम पर अनुसके आदेशसे काम करेगी।

मेरा विश्वास है कि अैसा करनेसे आजकी हालत बिगड़नी ही, अनुसमें सुधार तो जरा भी नहीं होगा। औपनिवेशिक स्वराज (ओमिनियन स्टेट्स) पानेसे देशकी हालतमें जो परिवर्तन हुआ है, अनुसमें यह जरूरी है कि अनुसूल और अमल दोनोंकी दृष्टिये शासनकी सभा देशके चोटीके जनत्रिय नेताओंके हाथमें रहे। मंत्री लोग कितने ही योग्य और अनुभवी क्यों न हों, लेकिन अगर अनुसूल और व्यवहारमें अनुकी केविनेट पर अैसे लोगोंका नियंत्रण है, जो अनुसूलकी दृष्टिये या तो केविनेटके मात्रहैं या अनुसूल के बिलकुल बाहर हैं, तो भीतरी और विदेशी मामलोंमें अनुकी वह सत्ता और प्रभाव नहीं होगा, जो आज पंडित नेहरू, सरदार पटेल या दूसरे

मंत्रियोंका है। और अैचे पदोंपर काम करनेवाले लेकिन बहुत अैचे अनुसूलोंको न माननेवाले व्यक्तियोंके हाथी कमाण्डके नियंत्रणसे बाहर हो जानेकी संभावना हमेशा बनी रहेगी। अिसलिये मैं सोचता हूँ कि देशके सच्चे नेताओंको शासनदंत्रमें बनाये रखकर ही अिस समस्याका कोअी हल खोजना चाहिये।

अिसलिये हमें सोचना चाहिये कि अिस मकसदको ध्यानमें रख कर कांग्रेस अपने आपको कैसे सुधार सकती है। मैंने अपने पिछले लेखोंमें कांग्रेस और देशके शासनको शुद्ध और निर्दोष बनानेके प्रारंभिक उत्पाय बता दिये हैं। अन्हें काममें लेनेके बाद कांग्रेसको पूँजीवाद, समाजवाद, गांधीवाद, साम्यवाद वगैरा विचारधाराओंसे कोअी सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। साथ ही, अुसे कौमवाद, प्रान्तवाद, संस्कृतिवाद, सम्बन्धियोंके साथ पक्षपात करनेका बाद, और अवसरवाद जैसी अमलमें लायी जानेवाली विचारधाराओंसे भी कोअी नाता नहीं रखना चाहिये। पहले जिन बादों—पूँजीवाद, समाजवाद, गांधीवाद वगैराका जिक किया गया है, अनुमेसे किसीको अपनानेके बजाय कांग्रेसको हिम्मतके साथ जनतासे यह कह देना चाहिये कि अनुसके सामने आज जो बहुत-सी समस्याये खड़ी हैं, अन्हें देखते हुए वह किसी खास बादमें अपना विवास जाहिर नहीं कर सकती। वह जनतासे कहेगी कि अगर अिनमेसे हर बादके अनुसूलोंकी फेरिस्तें बनायी जायें, तो पता चलेगा कि आजके कोअी भी दो कांग्रेसजन किसी फेरिस्तके सारे मुद्दोंको अक्षमतसे मंजूर नहीं करते या अनुके किसी खास मुद्देपर अेकसा जोर नहीं देते। अगर वह सिर्फ अैसी ही बात मंजूर करे जिसे ज्यादासे ज्यादा कांग्रेसजन मानें, तो अुस बातकी कोअी कीमत नहीं रह जायगी। अिसलिये सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सारे कांग्रेसजन कुछ मोटे मोटे अनुसूलोंकी तरफ अेक सतसे छुकते हैं। (अन्हें निश्चित रूपसे लिख लिया जाना चाहिये।) कांग्रेस वह मकसद बता सकती है, जिसे वह हासिल करना चाहती है। लेकिन वह कह सकती है कि अनुसूलोंकी अमलमें हरअेकको सन्तोष देना कठिन है। अिसलिये अुसी कांग्रेसको किसी खास बाद या विचारधाराको अनुसूल मंजूर नहीं करना चाहिये। लोग यह कह सकते हैं कि कांग्रेस किसी निश्चित नीतिके आधार पर काम नहीं करती—वह किधर भी बह जाती है। लेकिन यह खतरा अुठाकर भी अुसे कह देना चाहिये कि वह खुले दिमागसे, मौजूदा हालतोंको ध्यानमें रखकर, अपने सामनेकी हर समस्याकी जाँच करेगी और अैसा कैसला करनेकी कोशिश करेगी, जो अुसे आजकी हालतोंमें सर्वथा अुचित मालूम होगा। अिसका मतलब यह नहीं कि समस्याओंके हल खोजते समय कांग्रेसके सामने बहुत दूरके मकसद नहीं होंगे। लेकिन संभव है अन मकसदों तक पहुँचनेका जो रास्ता कांग्रेस अखिलयार करे, वह जितना कान्तिकारी और जलदीका न हो, जो किसी खास विचारधाराके हिमायतियोंको सन्तोष दे सके। कांग्रेसको अैसे ढंगसे काम करना चाहिये, जिससे अुसे दुनियाको यह दिखानेका सन्तोष मिले कि जिस तरहसे वह लोगोंके जीवन और शान्तिमें बहुत बड़ी गड़वड़ी पैदा किये गिना किसी नीतिपर अमल कर रही है, वैसा कोअी भी पार्टी नहीं कर सकती।

जहाँ तक कौमवाद, प्रान्तवाद वगैरा अमलमें लायी जानेवाली विचारधाराओंका सम्बन्ध है, मैं कहूँगा कि अगर कांग्रेसके लिये कोअी विशेष बाद अपनाना ज़रूरी हो, तो वह कौमवाद, प्रान्तवाद, संस्कृतिवाद, सम्बन्धियोंके साथ पक्षपात करनेका बाद, अवसरवाद, वगैराको न माननेका बाद होना चाहिये। यह बाद पूँजीवाद, गांधीवाद वगैरासे वगैराको छोड़कर हरअेक हिन्दुस्तानीकी अेक-सी जिज्ञत करना, सबके साथ साफ और अीमानदारी भरा बरताव रखना, शासनको निर्दोष वाचावधानी रखना, सब तरहके पक्षपातसे दूर रहना और अिसी तरहकी

दूसरी आदर्श बातें कांग्रेसका मूलमंत्र या एक मात्र मक्कसद, आदर्श और तरीका होना चाहिये। अगर जिस पर अधीमानदारीसे अमल किया जाय और जिस मक्कसदको हासिल करनेकी पूरी पूरी कोशिश की जाय, तो कांग्रेसके मुद्रीभर मेम्बर होने पर भी वह पहलेकी तरह जनप्रिय और अुपयोगी बनी रहेगी।

साधारण लोग, फिर वे सियासी निगाहसे कितने ही जाग्रत क्यों न दिखाओ दें, कभी किसी बाद विशेषके पक्के अनुयायी नहीं होते। किसी बादके नारे, जो व्यापक अर्धसत्य ही होते हैं, लोगोंको गोल-माल रूपमें जो कुछ समझा देते हैं, अुससे ज्यादा वे शायद ही अुसके बारेमें कुछ समझते हैं। हम जानते हैं कि भोलीभाली मुस्लिम जनता बिना समझेन्होंने पाकिस्तानके और हिन्दुस्तानी मुसलमानोंके लिये अलग बतनके नारेके साथ कैसी वह गयी, जिसने मुसलमानों और दूसरे हिन्दुस्तानियोंको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। आज भी हम जिस मुसीबतसे छूट नहीं सके हैं। अगर कांग्रेसको जनताकी सेवा करनी है, तो अुसे ऐसे नारोंकी कीमत परसे लोगोंका, विश्वास हटाना होगा। कांग्रेस खुद भी अपना कोअी नारा लोगोंके सामने न रख कर बुद्धिमानीका काम करेगी। जिसके बजाय अुसे ऐसे नारों पर बिना समझेन्होंने विश्वास कर लेनेकी लोगोंकी आदतको छुड़ानेकी भरसक कोशिश करनी चाहिये।

जिस तरह कांग्रेस शासनतंत्रसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रवृत्तियोंमें भाग लेनेवाले और धारासभायोंसे बाहर रहनेवाले साथियों और कार्यकर्ताओंकी संस्था बन सकती है। ये सब आत्म त्याग और अधीमानदारीकी भावनासे पालिंगमेण्टरी प्रवृत्तियोंमें भाग लेते हुए और सरकारी या गैरसरकारी तौर पर जिम्मेदारी भरे सार्वजनिक काम करते हुए राष्ट्रकी सेवा करनेके बचनमें बँधे होंगे। ये काम वे जनताको अधीमानदारी, न्याय और दूसरे अँगे गुणोंकी मीठे फल चखानेकी दृष्टिसे करेंगे। अगर किसी प्रतिज्ञाकी जरूरत हो, तो मेम्बरोंसे अूपरके ढंगकी प्रतिज्ञा कराअी जा सकती है।

जल्दी है कि ऐसी कांग्रेसकी सदस्यता फार्मपर दस्तखत करके चार आने देनेवाले हर आदमीके लिये खुली नहीं होगी। वह एक सीमित संस्था होगी। अुसके मेम्बर बननेकी शर्तें बहुत कड़ी होंगी, ताकि अँगे अुसलों, अँगे चरित्र, अँगे योग्यता और निस्त्वार्थ सेवाकी भावनावाले लोग ही अुसके मेम्बर बन सकें। वह जीवनके हर क्षेत्रमें काम करनेवाले और साधारण पढ़े लिखे आदमियोंको भी अपने मेम्बर बनायेगी, बशर्तें वे जिस कस्टी पर खरे शुतरैं। वह मेम्बर बनाते समय काफी सख्तीसे काम करेगी, ताकि धन, विद्या या धोखेका अुसपर असर न पड़ सके।

चाहे वह ओहदोंपर हो या बाहर हो, कांग्रेस जीवनके हर क्षेत्रसे सम्बन्ध रखनेवाली राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय, शहरी और देहाती संस्थाओंका अध्ययन करेगी और लोगोंको अुनके अध्ययन, छानवीन और खोज करनेकी प्रेरणा देगी। वह न तो किसी विशेष विचारधाराको माननेवाले दलोंके साथ अपनेको मिलायेगी, न अुनके अध्ययन और मददका फायदा अठानेसे जिन्कार करेगी।

ऐसी कांग्रेस जनताके सामने अपनेको न तो गांधीवादी जाहिर करेगी, न भीतर भीतर अगांधीवादी तरीके अल्पितायार करेगी। अखिल भारत चरखा-संघ, अखिल भारत ग्रामोद्योग-संघ वगैरा ऐसी रचनात्मक संस्थाओंके तरफ अुसका वही रूख होगा, जो गांधीजी या पुरानी कांग्रेससे सम्बन्ध न रखनेवाली किसी दूसरी संस्थाके प्रति होगा। वह पालिंगमेण्टरी प्रवृत्तियों द्वारा लोगोंकी सेवा करना चाहेगी, और (ओहदों पर रहते हुए) सरकारी नीतियाँ-समझाकर और जिस बातका ध्यान रखकर कि आम जनताके भलेकी दृष्टिसे अुन नीतियों पर अमल किया जाय, वह लोगोंके पास पहुँचनेकी कोशिश करेगी। अगर सचाअी, अधीमानदारी, गैरतरफदारी, सभ्यता और आदर्श जीवन कांग्रेसजनके विशेष गुण बन जायें, तो कांग्रेसकी लोगोंको हमेशा जरूरत रहेगी।

वर्धा, २४-७-'४८

(अंग्रेजीसे)

www.vinoba.in

किशोरलाल मशहूरवाला

भूलका अिकरार

मेरे 'बुरे साधन' नामक लेखक करते हुओं अुसमेंकी दो गलतियोंकी ओर मेरा ध्यान खींचा गया है। मुझे बताया गया है कि वह सर्व्यूलर, जिसका बहुतसा हिस्सा मैंने प्रकाशित किया है, बिहार सरकार या किसी अधिकारावाली संस्थाने नहीं निकाला था; वह तो एक नामधारी 'सरकारी अधिकारियों और गैरसरकारी लोगोंकी संयुक्त कमेटी'ने जारी किया था। बिहारके माल मंत्री श्री कृष्णवल्लभ सहाय मुझे लिखते हैं कि सरकारी जानकारीके अनुसार मैंसी 'कोअी भी संस्था असलमें मौजूद नहीं है।

दूसरे, मानभूम जिला कांग्रेस समितिके जिस प्रस्तावका मैंने अपने लेखमें जिक किया है, वह अुस संस्थामें पास नहीं हुआ, वलिक ५५ : ४३ वोटेसे गिरा दिया गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि जिला कांग्रेस समितिमेंसे ३८ मेम्बरोंने, जिनमें सभापति और मंत्री भी शारीक हैं, राजीनामे दे दिये।

जबसे वह लेख लिखा गया है, तबसे मानभूम और पश्चिम बंगालमें बिहारके सरहदी हिस्सोंको बंगालमें मिलानेकी हलचलके प्रचारकोने जो तरीके काममें लिये हैं, अुनकी ओर मेरा ध्यान खींचा गया है। यदि मुझे मिली हुआई खबरें सही हैं, (और अुनपर अविश्वास करनेका मुझे कोअी कारण नहीं दिखाओ देता) तो मुझे कहना होगा कि यह हलचल अुभाइनेवाली और लोगोंको हिस्साके लिये तैयार करनेवाली है। वह सर्व्यूलर, जिसे प्रकाशित करनेकी जिम्मेदारी मेरी है, यदि जालसारीभारा है, तब तो जिन बंगाली मित्रोंने वह मुझे मेजा, अुन्होंने मेरे साथ वडाभारी धोखा किया है। चूँकि जिन मित्रोंसे वह मुझे मिला, वे मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते, जिसलिये मुझे डर है कि खुद मुझके साथ भी जिस सर्व्यूलरके देनेवालोंने धोखा किया है, और अुन मित्रोंने जल्दीमें बिना सोचेन्होंने खुसे मेरे पास भैंज दिया है। बिहारके मानभूम और सरहदके हिस्सोंको पश्चिम बंगालमें मिलानेकी हलचलके प्रचारकोने यदि मेरे लेखको अपने प्रचारका साधन बनाया हो, तो जिसमें कोअी आश्वर्य नहीं। लेकिन ऐसा करके अुन्होंने अपने खुदके अुद्देश्यकी सेवा करनेके बजाय अुसकी कुसेवा ही की है। कारण, यदि मैं सरकारीसे टीका कर सकता हूँ, तो खुले तौर पर माफी भी माँग सकता हूँ और बगैर संकोचके भूल सुधार करनेके लिये सब कुछ कर सकता हूँ।

अूपरका हिस्सा लिखा जानेके बाद मेरे पास बिहारके शिक्षा-मंत्री, श्री बद्रीनाथजीका एक बड़ासा खत आया है, जिसमें जिस विषयका, जिसके बारेमें शिकायत पेश हुआई है, खलासा किया गया है, और जिन सूबोंमें भाषके सवालके बारेमें बिहार सरकारने जो नीति अल्पितायार की है, वह साफ साफ बयान की गयी है। मैं जिस पत्रको करीब करीब साराका सारा दूसरी जगह दे रहा हूँ। जिसमें से मैंने अुन हिस्सोंको छोड़ दिया है, जो सरकारी नीतिकी सफाईके लिये बिलकुल जरूरी नहीं है। जो नीति अल्पितायार की गयी है, वह यदि पूरी तरह अमलमें लायी गयी, तो बड़ी अच्छी जान पड़ती है। लेकिन यदि जिससे भी ज्यादा कुछ करना हो, तो 'स्थितिको ज्यादा भुधारनेके लिये आज जिस तरहका प्रचार किया जा रहा है, अुससे अच्छे तरीकों काममें लिये जा सकते हैं।

मैं फिरसे दोहरा कर कहता हूँ कि जो भी पक्ष बुरे साधन अिस्तेमाल करता है, चाहे वह अपना अुद्देश्य पानेमें कामयाब भी हो जाय, वह मानभूमके लोगोंको अुखी करनेमें कामयाब नहीं हो सकेगा, न वह दो सूबोंके लोगोंमें अच्छे तालुकात कायम कर सकेगा। वे खिर्फ लड़ाकी और फूटके बीज ही बोयेंगे। मैं नहीं समझता कि यह मामला शान्त और विशुद्ध तरीकोंसे निवटा ही नहीं जा सकता। नभी दिल्ली, ३०-७-'४८

किशोरलाल मशहूरवाला

(अंग्रेजीसे)

प्रेमपन्थ

(c)

शराबका बुरा व्यासन

(क)

द्रष्टव्य वगैरा नशीली चीजोंके शुपयोगसे शरीर और मन दोनोंको तुक्षान होता है। जितना ही नहीं, उससे आदमीका नैतिक ज्ञान मर जाता है और अपने आप पर काढ़ रखनेकी सारी ताकत खत्म हो जाती है।

(ख)

अफीम वगैरा नशीले पदार्थ और शराब ये शैतानके दो हाथ हैं।

(ग)

भूखों मरनेवाले ध्री-पुष्प छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं और भुन-पर मुकदमा चलता और झुन्हें सजा होती है। जिस चोरीके बनिस्वत हिन्दमें शराब पीनेको मैं ज्यादा बढ़ा कसूर मानता हूँ। बड़ी नाराजीसे और प्रेमधर्मका पूरा साक्षात्कार न होनेसे मजबूर बनकर मैं गुनहगारको सजा देनेकी बिचली पद्धतिको बदास्त करता हूँ।

और जब तक मैं युसे बदास्त करता हूँ, तब तक शराब बनानेवालोंको और बार बार चेताने पर मैं हठ करके शराब पीनेवालोंको सजा देनेकी मुझे हिमायत करनी चाहिये। मेरे लड़के अगर आगमें या गहरे पानीमें जायें, तो मैं झुन्हें जबरन रोकनेसे हिचकिचाता नहीं। शराब पीना जलती हुआई आगमें या भरपूर नरीमें कूदनेसे मैं ज्यादा भयानक है। आग या पानी सिर्फ शरीरका ही नाश करते हैं। लेकिन शराब तो शरीर और आत्मा दोनोंको बरबाद कर देती है।

(घ)

हिन्दमें जबरन शराब न छुड़ाओ जाय; जो शराब पीना चाहते हैं झुन्हें सुमीता कर देना चाहिये—ऐसी धूपरसे अच्छी लगनेवाली दलीलके भुलवेमें आप न आयें। लोगोंकी बुरी बातोंके लिये राज सुमीता नहीं करेगा। वेश्यागृहोंको हम, परवाने नहीं देते। चोरको चोरी करनेकी सहृदियत हम नहीं देते। चोरी और शायद वेश्यागमनसे मैं ज्यादा मैं शराब पीनेको बुरा समझता हूँ। शराबका नशा पहली दोनों बुराजियाँ पैदा करता है।

(ङ)

हमारे देशके हवायानीमें शराबकी विलकुल जखरत नहीं है। शराबकी गुलाम बनी हुआई प्रजाका नाश ही होता है। यादव लोग शराबके कारण ही कट मरे। रोमके पतनमें भी शराबका हाथ रहा है। जिसलिये अगर सावी और मासूली जिन्दगी बितानी हो, तो समय रहते जिस बुराओंको बन्द कीजिये।

(च)

शराबीपन और शराबवन्दीके बीच किसी तरहके समझौतेकी कोई गुंजायश नहीं है। सुखी आदमी थोड़ी मात्रामें शराब पीनेका भले ढोंग करें, लेकिन मजदूरके लिये यह नामुमकिन है।

(छ)

अंगूर कोई सुखे सारे हिन्दुस्तानका ऐक घण्टेके लिये राजा बना दे, तो खबरे पहले मैं सुनाव जा दिये बिना शराबकी सारी दुकानें बन्द करा दूँ। गुजरातमें दिखाई देते हैं, वैसे सारे ताड़ीके पेड़ कटवा डालूँ और कारसानेदारोंको जिस बातके लिये मजबूर कहँ कि वे अपने मजदूरोंके लिये जिन्सानके रहने-बसने योग्य हालतें पैदा करें और झुनके लिये ऐसे आंराम-धर सोँकें, जहाँ झुन्हें खाने पीनेकी निर्देश चीजें और मनवहलाके निर्देश साधन मिल सकें।

(अंग्रेजीसे)

सवाल-जवाब

छूच और नीच धंधे

सवाल—जयपुर राज्यके बलाभी (बुनकर) कपड़ा बुननेके अपने मुख्य कामके साथ साथ जूते और चबूतरकी मरम्मतका तथा मरे ढोरोंको झुठानेका काम करते रहे हैं। चूँकि हालमें झुनमें नयी जाग्रति आयी है, और चमड़ेका तथा ढोर झुठानेका काम समाजने नीचे दरजेका समझ रखा है, जिस कारणसे अनुलोगोंकी बिरादरीने अब निश्चय किया है कि ये दोनों काम अब कोई बलाभी न करे। जिससे किसानों, राजपूतों, तथा बनिये, ब्राह्मणोंमें बड़ी हलचल मच गयी है। बलाजियोंको चमड़ेका काम करनेके लिये भजबूर किया जा रहा है। अगर नहीं करते, तो झुनको मारा-पीटा भी जाता है। और कहीं कहीं तो बलाजियोंको गाँव छोड़कर भी जाना पड़ा है। ऐसी स्थितिमें बलाभी लोग क्या करें? बिरादरीके किये हुआ निश्चयपर कायम रहें या सर्व लोगोंके दबावको मानकर फिरसे यह काम करने लगें?

जवाब—जिसमें सवाणी और बलाजियों दोनोंको समझने-समझानेकी बात है। किसानी, दुकानदारी, पूजा-पूष्टिबाटी और कपड़े बुननेके पेशे शून्हे हैं और जूते सीने, ढोर झुठाने, पाखाने साफ करने वगैरके पेशे नीचे दरजेके हैं, और झुन्हें करनेवाले नीच हैं, ये खयाल अब निकल जाने चाहिये। लेकिन जब तक सवर्णोंमें से ये खयाल निकल नहीं जाते, तब तक बलाभी लोग जिस निश्चयपर आये हैं, झुनमें अचरजकी कोई बात नहीं। झुनको यह काम करनेके लिये भजबूर तो विलकुल ही नहीं किया जा सकता। पुराने जमानेकी वर्ण-व्यवस्थामें अपना पीढ़ी-जात धंधा करनेका हर आदमीका फर्ज माना जाता था। सवर्णोंने, वह धर्म बरसासे छोड़ दिया है। तब हर आदमीको अधिकार है कि आम तौरपर वह जिस पेशेको ठीक समझे, झुसे करे; जिसे ठीक न समझे, झुसे न करे। बलाजियोंको जिस कारणसे मारना पीटना या गाँव छोड़कर माया जानेकी परिस्थितिमें डालना, सवर्णोंका साफ साफ अन्यथा है, और लोक सेवकोंको ऐसे समयपर बलाजियोंकी मददमें रहना चाहिये।

तब सवाल यह है कि ऐसे काम किस तरह निबटाये जायें? जिसके रचनात्मक झुपाय नीचे लिखे हैं:

१. अद्वृतपन ऐकदम खत्म कर दिया जाय। बलाजियोंके साथ, चमड़ेका काम करनेवालोंके साथ और ढोरोंको झुठानेवालोंके साथ झुसी तरहका व्यवहार हो, जैसा किसान, बनिये और ब्राह्मण आपसमें करते हैं। घर या दुकानके जिस हिस्से तक ब्राह्मणके घरमें बनिया और किसान, या बनियेके घरमें किसान और राजपूत जा और बैठ सकता है, झुस हिस्से तक जिन लोगोंको भी बुलाने और बैठानेका व्यवहार शुरू करना चाहिये।

२. ढोरके मरनेपर झुसके झुठानेमें लोकसेवक और ब्राह्मण, बनिये, किसान, राजपूत वगैरा सवर्णोंको भी हाथ बैठाना चाहिये। जिस तरह परिवारका ऐक आदमी मरता है, तब झुसका शव झुठानेके लिये अपनी बिरादरीके लोग और मित्र आते हैं, जिनका होते हैं, और अपनी अपनी रुदिके अनुसार झुसे जलाते या गाढ़ते हैं, झुसी तरह ढोरको झुठानेका काम ऐक सामाजिक काम है। झुसको ढोरके कब्रस्तान तक पहुँचानेका काम जिसका ढोर मरा हो झुसकी बिरादरी और मित्रोंका है। चूँकि मरे ढोरको जलाया या गाढ़ा नहीं जाता, बल्कि झुसके चमड़े, इड़ी आदिका झुपयोग होता है और वह ऐक पैसे कमानेकी चीज है, जिसलिये झुस ढोरको झुठाने और ले जानेमें सास प्रकारकी हिफाजत और जानकारीकी जरूरत रहती है। जिसलिये वह काम खास लोगोंका पेशा बना हुआ है। तब झुसमें जिन लोगोंकी मददकी भी जरूरत हो जाती है। यह मदद झुन्हें योग्य मेहनताना देने पर ही ली जा सकती है। और चूँकि वे लोग ऐक तरहसे खास काम करनेवाले हैं, और ऐसा काम कर देते हैं जिसे करनेकी न तो दूसरे लोगोंमें जानकारी है और न शरीरकी

ताकत ही, जिसलिए अुन्हें ऐसे जिज्जतसे देखना चाहिये, जैसे पुलिसके या न्यायकचहरीके अफसरोंको, या स्कूल मास्टरोंको देखा जाता है। जब तक सवार्णोंकी मनोवृत्तिमें जिस तरहका फेरफार नहीं होता, तब तक ये झगड़े मिटेंगे तो नहीं, बल्कि बढ़ते जायेंगे; और शुस्मेंसे अेक तरफसे या दोनों तरफसे हिंसा पैदा होनेका डर रहेगा ही।

वर्धा, १२-७-'४८

किशोरलाल मशरूवाला

डर, पक्षपात और रिश्वत

मध्यग्रान्त और बरारके स्थानिक स्वराज्य विभागके मंत्री श्री द्वारकाप्रसाद मिश्रने २८ जूनको हुअी प्रान्तके कमिशनरों और डिप्टी कमिशनरोंकी कान्फरेन्समें जो भाषण दिया था, शुस्मेंसे नीचेके हिस्से लिये गये हैं। हालाँकि ये बातें खास कर मध्यग्रान्तके बारेमें कही गयी हैं, फिर भी आम तौर पर वे दूसरे सब प्रान्तोंको भी लगू होती हैं:

डर

“प्रान्तके जिलोंसे ऐसी खबरें मिला करती हैं कि धारासभाके मेस्वर और दूसरे कांग्रेसी अच्छी तरह शासन चलानेमें रुकावटें डालते हैं, . . . और ज्यादातर जिला अफसर शुस्में दबावके सामने छुक जाते हैं। मुझसे बार बार यह कहा गया है कि अफसरोंमें यह मान्यता घर कर गयी है कि राजसत्ता कांग्रेसके हाथमें है, जिसलिए हमें तकलीफसे बचनेके लिये कांग्रेस-जनोंकी शुचित या अनुचित अिच्छाको मान कर काम करना चाहिये। जिसीमें हमारी खैरियत है। लेकिन मैं आपको बिलकुल साफ शब्दोंमें कहूँ देना चाहता हूँ कि अफसरोंका यह रुख सही नहीं है। . . .

“आप सब प्रजाके सेवक माने जाते हैं और यह सच भी है। जिसलिए ज्यादासे ज्यादा बफादारी और योग्यतासे प्रजाकी सेवा करना आपका फर्ज है। लेकिन यह जल्दी नहीं है कि किसीकी अनुचित मौंगोंके सामने छुकनेके लिये आप अपने फर्जका सीधा रास्ता छोड़ — भले वह धारासभाका मेस्वर हो या और कोअी। . . .

पक्षपात

“कुछ कांग्रेसियोंके बारेमें मैंने यह भी सुना है कि वे अफसरोंके पास जाकर कहते हैं कि हमारा प्रधान मंत्री या अमुक मंत्रीके साथ गहरा सम्बन्ध है। अगर आप हमारा जितना निजी काम करा दें, तो हम आपकी तरकी जल्द करा देंगे। मैं आपको साफ शब्दोंमें कहूँ देना चाहता हूँ कि ऐसी बातें कलेवाले सफेद झूठ बोलते हैं। सरकारको बचनमें बाँध लेनेका किसी कांग्रेसीको कोअी दह नहीं है, और अफसरोंकी तनखाह बढ़ाने वैरागके बारेमें हमारे फैसलों पर ऐसे लोगोंका कोअी असर नहीं पड़ता। जिसलिए, ऐसी बातोंको कोअी महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। . . .

“हरअेक जिलेमें बहुत-सी पार्टियाँ होती हैं और वे सब तरह तरहकी साजिशें करती हैं। यह कुदरती बात है कि स्थार्थी लोग आपके पास आयेंगे और अपना दृष्टिकोण या अपना महत्व बता कर आप पर असर डालनेकी कोशिश करेंगे। ऐसे मामलोंमें बिलकुल निष्पक्ष रहकर न्याय करनेका आपका फर्ज है। न तो आपको ऐसे लोगोंके साथ बुरा बरताव करना चाहिये, न शुनके सामने आपको छुकना चाहिये।

रिश्वत

“. . . देशके भड़के नाम पर मेरी आप सबसे यह अपील है कि आज सरकारी तंत्रमें जो जड़ता, योग्यता और रिश्वत-खोरी वैरागकी बुराई कैली हुअी है, शुस्में आप हमारी मदद कीजिये। जिस लड़ाईमें आप लोग कांग्रेसियोंसे

भी ज्यादा हमारी (सरकारकी) मदद कर सकते हैं। जिसलिए जिस लड़ाईको आप अपनी लड़ाई बनाजिये, और हम सब मिल कर ऐसी कोशिश करें, जिससे हमारी शासन-व्यवस्था जितनी बँची बन जाय कि हमें शुस्में अभिमान हो। जितना ही नहीं, शुस्में दूसरोंको भी ऐसा करनेकी प्रेरणा मिले। आपके मातहत काम करनेवाले लोगों तक आप मेरा यह सन्देश पहुँचाजिये और जिस बातकी कोशिश कीजिये कि रिश्वतखोरी और योग्यताकी बुराइयाँ हमारे प्रान्तमें जड़से मिट जायें।”

श्री मिश्रजीकी यह बात पढ़कर सचमुच अचरज और दुःख होता है कि शुनकी सरकार शासन तंत्रमें शुस्में हुअी रिश्वतखोरीकी बुराईको जड़से मिटानेके काममें कांग्रेसियोंकी मदद पर पूरी तरह निर्भर नहीं कर सकती।

वर्धा, ६-७-'४८

किशोरलाल मशरूवाला

(अंग्रेजीसे)

भाषा-शिक्षणके बारेमें बिहारकी नीति

११ जुलाई १९४८के ‘हरिजन’ और शुस्में हिन्दी संस्करण ‘हरिजनसेवक’में ‘बुरे साधन’ नामका जो लेख छपा है, शुस्में तरफ भरा ध्यान खींचा गया है। शुस्में लेखमें जिस विषय पर चर्चा की गयी है, शुस्में मुझे बड़ा अचंभा हुआ। वह लेख आपकी कलमसे लिखा गया, यह और भी बड़े अचरजकी तथा, मुझे कहना चाहिये, दुःखकी बात है। ऐसे मामलोंमें, जिसे आपने अपने लेखका विषय बनाया है और जिसमें प्रान्तीय सरकार पर गंभीर आरोप लगाये गये हैं, मैं आपसे कथित जिलामोंकी सचाईका पता लगानेकी थोड़ी कोशिश करनेकी तो आशा जरूर रखता था। मुझे आपको यह बतानेकी जल्दत नहीं है कि आपने अनजानमें जो लेख लिखा, शुस्में बिहार सरकारकी जिज्जतको बहुत बड़ा धक्का लगा है। अगर यह लेख किसी दूसरे पत्रमें छपा होता, तो हमने शुस्में परवाह नहीं की होती, और मेरा विश्वास है कि शुस्में जितना बड़ा तुक्सान भी नहीं होता। लेकिन ‘हरिजन’में जो कुछ लिखा जाता है और वह भी आपकी कलमसे, शुस्में प्रान्तपर आम जनता बिना किसी हिचकिचाहटके विश्वास कर लेती है, और जनताका बहुत बड़ा हिस्सा तो शुस्में वेदवाक्य-सा मानता है। मैं नहीं जानता कि आपके जिस लेखसे जनता पर जो असर पड़ा है, शुस्में कैसे मिटाया जा सकता है। मैं यह पत्र आपको सच्ची हालत समझनेके लिये ही लिख रहा हूँ। लेकिन मैं शुरूमें ही आपको बता दूँ कि जिस सरकारको आपने अपनी टीकाका विषय बनाया है, वैसा कोअी सरकार बिहार सरकारने नहीं निकाला; न शुस्में किसी अफसरका वैसे किसी कामसे सम्बन्ध है, जिसे बहुत दूरके अर्थमें भी ‘बुरा या गन्दा’ कहा जा सके। फिर भी, हमारे बंगाली दोस्तोंका अेक हिस्सा ऐसा है, जो जिस प्रान्तके कुछ हिस्सोंको पश्चिम बंगालमें मिलानेके जोशमें बिहार सरकार और शुस्में अफसरोंको बदनाम करने पर तुला हुआ है और जिस मकसदको हासिल करनेके लिये कभीने तरीके अङ्गिलायार करनेमें भी कोअी बुराई नहीं मानता। इठें सरकारी प्रबाल करना अिस बातकी विर्फ अेक मिसाल है कि ये बंगाली दोस्त कितने नीचे गिर सकते हैं। यह सब कहते हुए मुझे बड़ा दुःख होता है, लेकिन सचाईको जाहिर करनेके लिये बहना पड़ता है। चिर्फ अिन दिस्सोंका दौरा करनेवाला और यहाँकी मौजूदा हालतकी सावधानीसे जाँच करनेवाला निष्पक्ष आदमी ही हमारे जिन बंगाली दोस्तोंकी गन्दी चालबाजियों पर पूरा प्रकाश ढाल सकता है। काश आपको यहाँकी सच्ची हालतका पूरा ज्ञान देता।

२. फिर भी मुझे जिस विषयमें ज्यादा लिखनेकी जल्दत नहीं है। मैं यहाँकी हालतके बारेमें अखल हकीकतें संक्षेपमें लेकर ही

सन्तोष कर लेना चाहता हूँ। अिस प्रान्तका शिक्षा विभाग यहाँकी शिक्षा प्रणालीको फिरसे राष्ट्रीय ढंग पर संगठित करनेके लिये बड़ा अनुसुक है। और चूँकि नयी तालीमकी पद्धतिको सारे देशमें दाखिल करनेकी बात मंजूर कर ली गयी है, अिसलिये बिहारके मौजूदा प्रायमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलोंको नयी तालीमकी पद्धतिके अनुकूल बनानेकी भरसक कोशिश की जा रही है, ताकि नयी तालीमकी ट्रेनिंग लिये हुये शिक्षक काफी तादादमें मिल जाने पर अिन स्कूलोंको आसानीसे बुनियादी स्कूलोंका रूप दियां जा सके। बेशक, शिक्षकों और पैसेकी सुविधाके अनुसार पूर्ण विकसित बुनियादी स्कूल भी जल्दीसे जल्दी अलगसे कायम किये जा रहे हैं। अिस मक्कसदको हासिल करनेकी दृष्टिसे मौजूदा प्रायमरी और मिडिल स्कूलोंका पाठ्यक्रम पूरी तरह नये सिरेसे बनाया गया है और अुसमें तरह तरहकी कलाओं और शुद्धियों — खासकर कताअी, बुनाअी, बागवानी वगैरा — की शिक्षा और अमली तालीमको स्थान दिया गया है। शिक्षाका माध्यम भी बदला जा रहा है, और प्रायमरी दरजोंमें, जहाँ तक संभव है, बच्चोंको छुनकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया जा रहा है। चूँचे दरजोंके पाठ्यक्रमकी योजना अिस तरह बनाई गयी है कि शिक्षाका माध्यम धीरे धीरे मातृभाषासे बदल कर हिन्दी हो जाय। क्योंकि हिन्दीको प्रान्तकी राजभाषा स्वीकार किया गया है — और संभव है कि हिन्द सरकार भी अुसे राजभाषा स्वीकार कर ले — और माध्यमिक शिक्षण और युनिवर्सिटीका शिक्षण हिन्दी माध्यम द्वारा ही दिया जानेवाला है। यह प्रबन्ध अिसलिये किया गया है कि जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, अुन्हें चूँची शिक्षाके अुभीतोंसे पूरा कायदा अुठानेका मौका मिले और वे सरकारी नौकरियोंमें विना कठिनाअीके लिये जा सकें। अिस बयानमें कोअी सचाअी नहीं है कि बंगाली बच्चोंको अपनी मातृभाषा छोड़नेके लिये मंजूर किया जा रहा है। अिसके खिलाफ, अिस तरह हिन्दी बोलनेवाले हिस्समें हिन्दीके जरिये शिक्षा दी जायगी, अुसी तरह बंगाली बोलनेवाले हिस्समें बंगला द्वारा प्रायमरी शिक्षा दी जायगी। अिसी तरह जिन हिस्समें आदिवासियोंकी संथाली, मुंडारी, हो और झुराबूँ बोलियाँ बोली जाती हैं, वहाँ अुन्हेंके जरिये शिक्षा दी जायगी। यह लोअर प्रायमरी दरजे तक चलेगा। अपर प्रायमरी स्कूलोंमें थोड़ी हिन्दी दाखिल की जायगी, लेकिन बच्चोंकी शिक्षाका माध्यम अुनकी अपनी भाषायें ही रहेंगी। मिडिल स्कूलोंमें भाषाको छोड़कर दूसरे विषयोंकी शिक्षा हिन्दीके जरिये दी जायगी। लेकिन बच्चे अपनी मातृभाषा पढ़ते रहेंगे। अुन्हें तब तक ऐसा करने दिया जायगा, जब तक माध्यमिक और युनिवर्सिटी शिक्षणमें साहित्यके अध्ययनका प्रबन्ध नहीं हो जाता। अिसलिये किसीसे जबरन अपनी मातृभाषा छोड़नेका सवाल ही नहीं अुठता। अुठटे, आज तक जिन बच्चोंको अपनी मातृभाषा द्वारा प्रायमरी शिक्षा नहीं मिलती थी, अुन्हें भी मातृभाषा द्वारा पढ़नेकी कोशिश की जा रही है। मिषालके लिये, संथाली, मुंडारी, झुराबूँ और हो जातिके बच्चोंको अभी तक हिन्दी या बंगलाके जरिये ही पढ़ाया जाता था। अब पहली बार अुन्हें अपनी भाषामें प्रायमरी शिक्षा लेनेका मौका मिलेगा। बिहार सरकार आज बिहारमें जो कुछ कर रही है, वह दिल्लीमें हुअी शिक्षा परिषदके ठहरावोंसे ठीक मेल खाता है। मानभूमके हमारे बंगाली दोस्तोंको एक ही बात खटक रही है। वे नहीं चाहते कि संथाली और हिन्दी बोलनेवाले बच्चोंको अुनकी मातृभाषाके जरिये शिक्षा दी जाय। कुछ ऐसे कारणोंसे, जिनकी चर्चामें पढ़ना भेरे लिये यहाँ जरूरी नहीं है, मानभूमके सारे निवासियों पर बंगला माध्यम लाद दिया गया था। और हमारे बंगली दोस्त हमेशा वही हालत बनाये रखना चाहते हैं। शायद आप नहीं जानते कि मानभूमके लगभग ७०-८० फी सरी लोग या तो हिन्दी बोलते हैं या फिर कोअी न कोअी आदिवासी भाषा — ज्यादातर संथाली — बोलते हैं। आज तक अिन सबको शुरूके दरजोंसे

ही बंगला माध्यमके द्वारा शिक्षा लेनेके लिये मंजूर किया गया था। नये पाठ्यक्रममें जिस तरह बंगलीयोंको बंगला माध्यम द्वारा प्रायमरी शिक्षा लेनेकी छूट है और रहेगी, अुसी तरह दूसरी भाषायें बोलनेवालोंको अपनी अपनी भाषाके द्वारा प्रायमरी शिक्षा लेनेकी छूट रहेगी। जाहिर है कि हमारे कुछ बंगाली दोस्त, जिनमेंसे ज्यादातर बाहरसे आकर बसे हुये हैं, अिस परिवर्तनको पसन्द नहीं करते। अिसीलिये वे बिहार सरकारको बाहरकी दुनियामें बदनाम करनेके लिये हर तरहके बुरे तरीके अखिल्यार करनेकी कोशिश करते रहते हैं।

३. बिहार सरकार हिन्दी न बोलनेवाले लोगोंके साथ ज्यादासे ज्यादा अन्याय करनेकी कोशिश कर रही है। शिक्षा विभागको अिस बातका ख्याल है कि हिन्दी न बोलनेवाले बच्चोंको हिन्दी पढ़ानेसे अुनपर थोड़ा बोझ पड़ेगा और अिसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि हिन्दी बोलनेवाले बच्चोंके मुकाबलेमें अुनके साथ अन्याय किया जा रहा है। शायद आप नहीं जानते, अिसी ख्यालसे शिक्षा विभाग ऐसा बन्दोबस्त करनेकी कोशिश कर रहा है कि जिस तरह हिन्दी न बोलनेवाले बच्चे हिन्दी सीखें, अुसी तरह हिन्दी न बोलनेवाले हिस्सोंके हिन्दी-भाषी बच्चे बंगाली, संथाली वगैरा स्थानीय भाषायें सीखें। अिससे अलग अलग भाषायें बोलनेवालोंके बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम करनेमें और अुनमें सद्भावना और सद्गुरुभूति पैदा करनेमें मदद मिलेगी।

* * *

५. मैंने अूपर केवल हकीकतें देनेकी कोशिश की है। यह लम्बा पत्र लिखनेके लिये आप मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन मैं ऐसा करनेके लिये मंजूर हो गया। क्योंकि सच्ची हालतको पूरी तरह समझनेके लिये हकीकतें आपके सामने पेश करना जरूरी था।

रॉची, २३-७-'४८

(अंग्रेजीसे)

बद्रीनाथ घर्मा

शिक्षा और सूचना मंत्री

“ अशाक्षु ”

चिड़ियोंको दाना भिले, शिशुको पथकी धार; प्रभु सबको चिन्ता करे, नाहक तू बेजार! कोशिश अपना काम है, पूरा तो प्रभुके हाथ; भन, कथों तू चिन्ता करे, छोड़ मेहुका साथ। जिसको दुनिया दुःख कहे, वह अिश्वरका धार; पाप करे, इश्यु भी चुके, लोके बेड़ा पार। जीत, हार कुछ भी भिले, रघना अपनी आन; इटा रहे निज वन्धन पर, नरकी यहु पहिचान। भृथक्षमें भी अुश सके भीड़ पिंडजूर; निर्दय दिलमें भी दयके अंकुर भरपूर! वही साधु कहला सके, जो जाने पर-पीर; जन हितमें सभरत सदा, साधक वही सुधीर। जैसा तुम चाहो करै सब तुमसे व्यवहार; वैसा ही व्यवहार तुम करै सभीसे धार।

(‘अभर आशा’से)

श्रीमन्नारायण अवधार

विषय-सूची

हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी ही है	पृष्ठ
रचनात्मक काम करनेवालोंकी संस्थायें	१९७
कांग्रेसका सुधार	१९८
भूलका विकार	२००
प्रेमपत्थ — ८	२०१
सवाल-जवाब	२०२
द्व, पक्षपात और रिस्वत	२०२
भाषा-शिक्षणके बारमें विद्यारकी नीति	२०३
टिप्पणी :	
“ आशाकण ”	
“ आशाकण ”	
श्रीमन्नारायण अवधार	२०४